email ✓

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0–ल0सिं0मो0–/HKKP/जमुई/747/2024 (Part-I) खण्ड संचिका–V 1192 पटना, दिनांक– 17/1/25

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

संगीता सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।

द्वारा:– आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय:– वित्तीय वर्ष 2024-25 में **"हर खेत तक सिंचाई का पानी"** कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, **जमुई** अन्तर्गत **ककनी पईन का जीर्णोद्धार कार्य** हेतु कुल-**102.120 लाख (एक करोड़ दो लाख बारह हजार रूपये)** मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:– स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध वित्तीय वर्ष 2024-25 में **"हर खेत तक सिंचाई का पानी"** कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, **जमुई** अन्तर्गत **ककनी पईन का जीर्णोद्धार कार्य** हेतु कुल- **102.120 लाख (एक करोड़ दो लाख बारह हजार रूपये)** मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	**ककनी पईन का जीर्णोद्धार कार्य**	**जमुई**	**लक्ष्मीपुर**	**102.120**	**220**

2. विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन **सक्षम प्राधिकार** द्वारा प्रदत्त है ।
3. इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय–02 "हर खेत तक सिंचाई का पानी" निधि से कराया जायेगा।
4. इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101– सतही जल, उप शीर्ष–0106– हर खेत तक सिंचाई का पानी– सात निश्चय–2, विपत्र कोड 50–4702001010106, विषय शीर्ष–53–01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष–4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0106– हर खेत तक सिंचाई का पानी– सात निश्चय–2, विपत्र कोड 50–4702007890106, विषय शीर्ष–53–01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
5. राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा। वित्त विभागीय पत्रांक–96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक– 17.04.98 एवं 800 वि0(2) दिनांक–18.09.2008 एवं 3578/वि0, दिनांक– 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
9. दिनांक–**16.01.2025** को संचिका संख्या– **सं0सं0– ल0सिं0मो0–/HKKP/जमुई/747/2024 (Part-I)** खण्ड संचिका–**V** के **पृ0–06 टि0** पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
10. संचिका संख्या– **सं0सं0– ल0सिं0मो0–/HKKP/जमुई/747/2024 (Part-I)** खण्ड संचिका–**V** के **पृ0–07/टि0** पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
11. वित्त विभागीय पत्रांक–7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, **जमुई** होगें तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, **भागलपुर** होगें ।
13. राशि की निकासी जिला कोषागार, **जमुई** से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन

(संगीता सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 1192 पटना, दिनांक– 17/1/25

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, **जमुई** /कोषागार पदाधिकारी, **जमुई** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 1192 पटना, दिनांक– 17/1/25

प्रतिलिपिः– विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+भुगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, **भागलपुर** /संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, **जमुई** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– 1192 पटना, दिनांक– 17/1/25

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा–03/विभागीय बजट प्रशाखा–02/ आई0टी0 मैनेजर/आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।